

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ शुद्धि पत्र ॥

वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या-481 दिनांक-07.02.2026 की कंडिका-05 में निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

1. उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, भागलपुर के PL खाता सं०-BGPPLA013 तथा HOA-00-8448-00-102-0001-00-01 के स्थान पर बुडको के PL खाता सं०-PTSPLA006 तथा HOA-00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से हस्तांतरित किया जायेगा।

2. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकार्यें यथावत् रहेगी।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/शहरी जलापूर्ति-18-09/2025 1396 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-09/2/26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/आयुक्त, प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।